यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर के माह 06/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री टी.एस.नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.के.डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 18.11.2016 से 23.11.2016 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.2014 से 01.07.2014 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि □ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	0	0	43048000	40073000	0	2975000
2014-15	0	0	0	0	44559890	40768531	0	3791359
2015-16	0	0	0	0	45802700	44906971	0	895729

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि □ में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'बी' की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव गृह कारागार
सचिव गृह कारागार
महानिरीक्षक कारागार
उपमहानिरीक्षक कारागार
वरिष्ठ अधीक्षक कारागार
अधीक्षक कारागार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में .... (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2015 एवं 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। .... का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1: अनियमित व्यय □ 449.07 लाख।

कार्यालय अधीक्षक व्यय सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज की बजट अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अधिष्ठान मदों के अन्तर्गत कुल आबंटन ` 458.02 लाख के सापेक्ष `449.07 लाख व्यय किया गया। मदों के अन्तर्गत सामग्रियों पर किये जाने वाले वर्षवार व्यय से सम्बन्धित 'कन्टीजेन्सी पंजिका' का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, फलतः सामग्रियों पर की गयी व्यय संगत मदों के अन्तर्गत सम्बन्धित तथ्यों को इकाई द्वारा लेखापरीक्षा के समक्ष प्रकाश में नहीं लाया जा सका।

कन्टीजेन्सी पंजिका का उचित रखरखाव नहीं किये जाने का कारण पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में लेखापरीक्षा के निर्देशानुसार पंजिका का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि पंजिका में मदवार सामग्रियों तथा उस पर व्यय का विवरण प्रविष्टि नहीं किया जाना व्यय की पारदर्शिता को नहीं दर्शाता है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-19/2014-15	01	-
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-19/2012-13	01	01,02,03,04,05 व 06

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.- 19/2014-15	**भाग-2-ब प्रस्तर-01**	इस संबंध में लेखापरीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रारुप में अनुपालन आख्या तैयार कर निस्तारण हेतु महालेखाकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किया जायेगा।		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.- 19/2012-13	**भाग-2-अ प्रस्तर-01 भाग-2-ब प्रस्तर-01, 02, 03, 04, 05 एवं 06**	इस संबंध में लेखापरीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रारुप में अनुपालन आख्या तैयार कर निस्तारण हेतु महालेखाकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किया जायेगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः- शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**
1.	**श्री मनोज कुमार आर्या**	अधीक्षक
2.	**श्री तारा दत्त जोशी**	अधीक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र